अध्याय-22
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय-एक सिंहावलोकन

पृष्ठभूमि

22.1 पुनर्वास तथा रोजगार निदेशालय (डीजीआरई) जिसे अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना जुलाई, 1945 में भूतर्प्वू सैनिकों और युद्ध सेवा कार्मिकों की, कार्यमुत्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में पुनर्वास के प्रयोजनार्थ की गई थी।

22.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों के प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था को भी महानिदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल कि या गया।

22.3 प्रशिक्षण और नियोजन सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का प्रशासनिक नियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया।

22.4 संगठन की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा 31.03.1969 तक वहन किया जाता रहा। जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बन्द करा दी गई।

22.5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। अगस्त, 2005 के अन्त तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 947 (82 विश्व विद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन ब्यूरो सहित) थी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी तथा गैर सरकारी दोनें) की कुल संख्या 5114 थी, जिनकी सीटों की क्षमता 7.42 लाख थी।

22.6 महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण/संयुक्त सचिव भारत सरकार महानिदेशालय के प्रमुख हैं। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढ़ाँचे में रोजगार निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय तथा सचिवालय विंग नामक तीन मुख्य विंग हैं।

उत्तरदायित्व

रोजगार सेवा

22.7 राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना।

22.8 राज्यों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।

22.9 रोजगार अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना तथा रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना।

22.10 एक सतत् कार्यक्रम के तहत् राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं अथवा कार्य पद्धतियों का मूल्यांकन करना, ताकि रोजगार सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह दी जा सके तथा राष्ट्र्ग्री नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

22.11 कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां भर्ती काफी संख्या में अपेक्षित है वहां अधिशेष व कम कार्मिकों के समायोजन हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी उपलब्ध कराना।

22.12 संगठित क्षेत्रों एवं रोजगार कार्यालयों के लिए श्रम बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार करना तथा समान रिर्पोटिंग प्रक्रिया निर्धारित करना।

22.13 बेरोजगार युवाओं से उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त आजीविकाओं के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स) के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करना।

22.14 विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।

22.15 देश में रोजगार स्थिति को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्ये में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना।

22.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)(मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों में) दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त अर्ध-कुशल तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कुशल कामगार होते हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में, यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तो इस मामले में रियायत का प्रावधान है।

22.18 राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से सामान्य नीतियों,मानकों तथा प्रक्रियायों से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

22.19 अनुदेशकों का प्रशिक्षण, व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।

22.20 इसके प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से महिलाओं के प्रशिक्षण सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

22.21 व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुसंधान तथा अनुदेशात्मक सामग्री का विकास।

22.22 व्यवसाय प्रशिक्षुओं के संबंध में शिक्षु अधिनियम 1961 का कार्यन्वयन।

सांविधिक उपबंध

22.23 रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

22.24 शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

गैर सांविधिक निकाय तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित निकाय

गैर सांविधिक निकाय

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह
- राष्ट्र्यी व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी)

सांविधिक निकाय

- केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी)

उपलब्ध आधारभूत सरंचना

रेजगार सेवा

राज्य सरकारों के पास

- भारतवर्ष में 947 रेजगार कार्यालय (जिनमें विकलांगों हेतु 43 विशेष रोजगार कार्यालय शामिल हैं)।
- विभिन्न राज्यों के 38 रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- अधिकांश राज्यों में रोजगार निदेशालय, राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

केन्द्र सरकार के पास

- 19 राज्यों में विकलांगों हेतु 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थित हैं। (3 अभी स्थापना के चरण में है)
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र।
- एक केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सरटस), नई दिल्ली में स्थित है।
- नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों को दर्शाने वाला चार्ट अनुबंध 22.1 पर दिया गया है।

प्रशिक्षण निदेशालय

राज्य सरकार के पास

- 7.42 लाख की कुल सीट क्षमता सहित 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 1896 सार्वजनिक क्षेत्र तथा शेष 3218 निजी क्षेत्र में हैं जो संभावित जनशक्ति/उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक तकनीकी प्रशिक्षण निदेशालय /रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय स्थित है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण तथा राज्य सरकारों एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित शिक्षु अधिनियम के उपबंधें के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्र सरकार के पास

- 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, लुधियाना और मुम्बई।
- केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई।
- इलैक्ट्रिॉनक्स तथा प्रोसेस इंस्ट्रमेंटेशन संबंधी दो उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और देहरादून।
- केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता।
- 6 क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई, कानपुर, कोलकाता,चेन्नई, हैदराबाद और फरीदाबाद।
- राष्ट्र्री महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा(उ.प्र.)।
- 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हिसार, कोलकाता, तुरा, इंदौर, इलाहाबाद, वडोदरा तथा जयपुर।
- 2 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान,बंगलौर और जमशेदपुर।
- 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उत्तरांचल), कालीकट (केरल), चौद्वार (उड़ीसा) और जोधपुर (राजस्थान)।
- राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई (पूर्व में सिमी के नाम से जाना जाता था)।
- अपैक्स हाई-टेक इंस्टीटयूट, बंगलौर।
- प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में कर्मचारियों की कुल संख्या

22.25 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 2527 कर्मचारी हैं जिनमें से 241 समूह-क अधिकारी, 397 समूह-ख अधिकारी, 1259 समूह-ग कर्मचारी तथा 630 समूह-घ कर्मचारी हैं।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

22.26 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय न तो कोई रोजगार नीति बनाता है और न ही किसी रोजगार सृजन योजना का कार्यन्वयन करता है। इसकी भूमिका सहयोग करने एवं भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से अर्थव्यस्था में हो रहे रोजगार सृजन पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 31.08.2005 को 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 947 रोजगार कार्यालय हो गया है।

22.27 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व-रोजगार सवंर्धन सैल कार्य कर रहे हैं। मई, 2005 के अंत तक 80,331 लाख व्यक्तियों को स्व-रोजगार में लगाया गया।

22.28 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान 386 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा 82 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो इन जिला रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे थे।

22.29 व्यावसायिक प्रशिक्षण के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रामाणिक रोजगार बाजार सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्यों में रोजगार सेवा, रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त एवं 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गेर -कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं। 31 मार्च, 2003 को ईएमआई कार्यक्रम के तहत् कुल 2.93 लाख प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया।

22.30 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 13 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण का अभ्यास करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ये केन्द्र समूह घ्गङ एवं समकक्ष पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग,बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं। जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2005 के दौरान अध्यापन-सह- मार्गदर्शन केन्द्रों में टंकण एवं आशुलिपि का 8688 उम्मीदवारों ने लाभ उठाया तथा 2182 उम्मीदवारों ने सीजीसी द्वारा आयोजित भर्ती पूर्व कार्यक्रमों में भाग लिया।

22.31 देश में विकलांगों हेतु 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी.आर.सी.) कार्य कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। तीन केन्द्रों यथा, उना, पांडिचेरी तथा श्रीनगर प्रत्येक में एक केन्द्र को वर्ष 2005-06 में स्वीकृति प्रदान की गई तथा वे आरंभ किए जाने की प्रक्रिया में हैं। ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करने तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्ष 2005 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा 20937 व्यक्तियों को पंजीकृत, 20601 को मूल्यांकित/प्रशिक्षित तथा 8087 विकलांगों को पुनर्वासित किया गया।

22.32 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित भूतपूर्व सैनिक कक्ष द्वारा भूतपूर्व विकलांग सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अक्तूबर, 2005 के अंत में

223 विकलांग सैनिक तथा 2329 आश्रित इस सैल के माध्यम से रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

22.33 केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (सरटस) रोजगार सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों में अनुसंधान के लिए रोजगार कार्यालयों के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं आजिविका साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी हैं। नवम्बर, 2004 से अक्तूबर, 2005 के दौरान, सरटस ने रोजगार अधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, 2 अनुसंधान अध्ययन पूर्ण किए तथा 2 आजीविका प्रकाशनों को जारी किया। हिन्दी व अंग्रेजी में एक प्रेरणादायक पोस्टर भी तैयार किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.34 कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण का व्यक्तियों, उद्यमियों, अर्थव्यवस्था एवं समाज के हितों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, वित्तीय बाजार में परिवर्तन, उत्पादों व सेवाओं हेतु सार्वभौमिक बाजारों का प्रादुर्भाव, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, नई व्यापार नीतियां, नए प्रबन्धन, व्यापार संगठनों के नए रूप कार्य जगत में परिवर्तन लाने वाले परिणामों में से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जनशक्ति को सक्षम बनाने, कार्य की गुणवत्ता एवं संगठनात्मकता में सुधार, नागरिकों की उत्पादकता में वृद्धि, कामगारों की आय में वृद्धि, उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, रोजगार सुरक्षा संवर्धन, सामाजिक समानता और आंतरिक एवं बाह्य श्रम बाजारों में तेजी से आते बदलाव में व्यक्तियों को ◌अधिक रोजगारपरक बनाने में सहायता हेतु कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण अच्छे कार्य का आधार स्तंभ है।

22.35 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति की व्यवस्थित आपूर्ति द्वारा समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की गुणवता में सुधार करना जारी रखा। इन कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है। इन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा अगले अध्यायों में दिया गया है।

शिल्पकार प्रशिक्षण

22.36 कुशल कामगारों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और गतिशील/गत्यात्मक व्यावासायिक प्रशिक्षण नीति तथा अवसंरचना के माध्यम से सार्थक सृजन हेतु पूरे देश में फैले पिछले वर्ष तक 5068 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 46 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिससे इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ कर 5114 हो गई है। इनकी कुल सीट क्षमता 7.42 लाख है व इनमें 98 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बदलते परिवेश में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यमान व्यवसायों को संशोधित किया गया, पुराने व्यवसायों को समाप्त कर दिया गया व नए व्यवसाय आरम्भ किए गए।

22.37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) से सम्बद्ध 6 आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) तथा एक केन्द्रीय प्रशिक्षण

संस्थान(सीटीआई) के माध्यम से 22 व्यावसायों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्री व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर वी टी आई) भी महिला व्यवसाय में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

22.38 कुल प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया है। व्यवसाय सिद्धान्त, कार्यशाला गणना व विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग तथा सामाजिक अध्ययन (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर माडयूल भी शामिल है) से संबंधित विषयों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

22.39 उद्योगों की कौशल संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण माडयूल्स को पुनः अनुकूल बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, तथा चौद्वार स्थित 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एमआईटीआई) में माडयूलर पद्धति पर शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

22.40 जैसा कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं वाले सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के नियोजकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करें। अधिनियम के अंतर्गत 254 उद्योग समूहों को शामिल किया गया है तथा लगभग 20853 प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करते हैं।

22.41 32 व्यवसाय समूहों में 153 व्यवसायों को व्यवसाय शिक्षुओं हेतु नामोद्दिष्ट किया गया है। 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार 230413 उपलब्ध प्रशिक्षण सीटों की तुलना में 164653 शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

22.42 स्नातकों एवं तकनीशियन शिक्षुओं हेतु 102 तथा तकनीशियन(व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिए 95 विषय क्षेत्रों को नामोद्दिष्ट किया गया है। इन श्रेणियों के लिए विद्यमान 82154 सीटों में से दिनांक 30.6.2005 तक 38828 सीटों का उपयोग कर लिया गया है। अन्य ब्यौरा अध्याय 29 में देखा जा सकता है।

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

22.43 व्यावसायिक क्षमताओं के उच्च मानकों तक पहुंचने में प्रशिक्षणार्थियों के सहायतार्थ गुणात्मक कौशल विकसित करने हेतु अर्हताप्राप्त प्रशिक्षक मूल आधार हैं। किसी भी सफल प्रशिक्षण प्रणाली हेतु प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण विवेचनात्मक तत्व है। उनकी रोजगारपरकता सुनिश्चित करने तथा उनके प्रशिक्षण से कार्य अथवा पुनः प्रशिक्षण की ओर उन्मुख होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान वर्ष में समग्र देश से कुल 1050 प्रशिक्षकों को 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुदेशकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 27 व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया। ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

22.44 उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बदलती हुई प्रौद्योगिकी व कौशल आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति के कौशल व क्षमताओं में सुधार सुनिश्चित होता है। इससे कामगारों का वैयक्तिक व आजीविका विकास सुनिश्चित होता है जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादकता व आय में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य से, वर्तमान वर्ष में 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च व्यावसायिक क्षेत्रों में 107090 से अधिक औद्योगिक कामगारों को प्रशिक्षित किया गया। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 30 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार किया गया। विस्तृत ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

इलैक्ट्रिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.45 हैदराबाद एवं देहरादून में स्थित दो इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इभंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करते हैं। अब तक इन संस्थानों द्वारा 2589 अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा अक्तूबर, 2005 तक 30688 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2005-06 वर्ष के दौरान 131 पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा इन संस्थानों में 1309 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पर्यवेक्षी प्रशिक्षण/फोरमैन प्रशिक्षण

22.46 विद्यमान एवं सम्भावित शाप-फ्लोर फोरमैनों तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशलों में पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पावधि/टेलर-मेड तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों का आयोजन किया जाता है।

22.47 इन संस्थानों में नवम्बर, 2005 तक 2633 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं तथा अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों के माध्यम से 36490 फोरमैन/पर्यवेक्षेकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 के दौरान, इन संस्थानों के विभिन्न अल्पावधि/दीर्घावधि पाठ्यक्रमों में 1274 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कर्मचारी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास

22.48 कार्यकारी स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने तथा अनुदेशात्मक सामग्री एवं प्रक्षेपित/गैर-प्रक्षेपित प्रशिक्षण सहाय्यों का विकास, प्रसार करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य सरकार की तकनीकी सहायता से संस्थान की स्थापना 1966 की गई।

22.49 अक्तूबर, 2005 तक केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने 16186 कार्मिकों के प्रशिक्षित किया, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 156 परियोजनाओं को पूरा किया। वर्ष के दौरान, संस्थान ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायों की

विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों की 06 नई पाठ्य़चर्याओं का भी विकास किया।

22.50 संस्थान ने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के स्टाफ को प्रशिशिक्षत करने के लिए गैर-औपचारिक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं।

अनुदेशात्मक मीडिया का विकास

22.51 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत् विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों(आईएमपी) के रूप में अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने एवं उसका प्रसार करने के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान(निमी) की स्थापना की गई।

22.52 01.04.1999 से निमी को स्वायत्तता प्रदान की जा चुकी है तथा यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

22.53 नवम्बर, 2004 तक 20 व्यवसायों के लिए अंग्रेजी में अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज विकसित कर लिए गए हैं जिनमें से 18 व्यवसायों की 130 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई है। 11 व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों का हिन्दी अनुवाद कर लिया गया है जिनमें से 11 व्यवसायों की 38 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों का तमिल अनुवाद कर लिया गया है जिनमें से 8 व्यवसायों की 33 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों हेतु प्रश्न बैंक विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है जिनमें से 4 व्यवसायों का प्रश्न बैंक पूरा कर लिया गया है तथा टर्नर और मशीनिस्ट व्यवसायों के लिए इस प्रश्न बैंक का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा आयोजित की गई। 65 बहुगुणक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा 2186 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

22.54 इस संस्थान ने अप्रैल 2004 से नवम्बर 2004 तक अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विक्रय के माध्यम से 138 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया है।केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा उद्यमों के छंटनीशुदा कामगारों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा उनका पुनः नियोजन

22.55 युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षित करने और उन्हें पुनः नियुक्त करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग (डीओआईडी) द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को 34 नोडल एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में निर्धारित किया है। योजना को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 9 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

22.56 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

22.57 एन वी टी आई/आर वी टी आई ने आरम्भ से अब तक लगभग 37,376 प्रशिक्षणार्थियों को विविध पाठ्य़क्रमों में प्रशिक्षित किया है; इनमें 22,711 प्रशिक्षुओं को नियमित दीर्घावधि पाठ्य़क्रमों व 14,665 को अल्पावधि पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

22.58 वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्य़क्रमों में 3092 महिलाओं को एम एस आफिस, वर्ड प्रोसैसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण, कशीदाकारी, परिधान निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में नियमित दीर्घावधि तथा अल्पावधि/तदर्थ पाठ्य़क्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

22.59 राज्य क्षेत्र में, अक्तूबर 2004 तक समेकित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 46658 प्रशिक्षण सीटों सहित लगभग 800 संस्थान (218 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 582 महिला विंग) थे। ब्यौरा अध्याय 30 में दिया गया है।

मुद्दे

रोजगार से संबंधित

22.60 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु उत्तरदायी है और न ही कोई रोजगार नीति तैयार करता है व कोई रोजगार सृजन योजना कार्यान्वित करता है। इसकी भूमिका समन्वय करने तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजन का अवलोकन करना है।

22.61 कुल रोजगार का 7 से 8 % संगठित क्षेत्र में है अर्थात् असंगठित क्षेत्र का रोजगार परिदृश्य में वर्चस्व है।

22.62 संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग स्थिर है, अर्थात् संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना बहुत कम है। अतः इस क्षेत्र में युवाओं हेतु नियमित वेतन रोजगार वृद्धि सीमित है।

22.63 तृतीय क्षेत्र, विशेषकर सेवा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण रोजगार सृजन हो रहा है।

22.64 लघु क्षेत्र अर्थात् सूक्ष्म, लघु उद्योगों में महत्त्वपूर्ण रोजगार वृद्धि हो रही है।

22.65 आजीविका परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तथा अद्यतन एवं विश्वसनीय श्रम बाजार सूचना प्रदान करते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक पुनर्संरचना व संगठित क्षेत्र में रोजगार के कम होते अवसरों के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में रोजगार कार्यालयों की सकारात्मक भूमिका हेतु पुनराभिमुखीकरण की आवश्यकता।

****

अनुबंध 22.1

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
के अंतर्गत फील्ड/कार्यालय

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षण निदेशालय	रोजगार निदेशालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स तथा प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, हैदराबाद ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, हैदराबाद ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हैदराबाद
2.	असम		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, गुवाहाटी ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी
3.	बिहार		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, पटना
4.	गुजरात	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वड़ोदरा	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद ○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, वड़ोदरा ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, सूरत
5.	हरियाणा	○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, मण्डी

7.	जम्मू और कश्मीर		○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जम्मू
8.	झारखंड	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, रांची
9.	कर्नाटक	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ○ अपेक्स हाई-टेक संस्थान, बंगलौर ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक संस्थान, बंगलौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, बंगलौर ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, बंगलौर
10.	केरल	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तिरूअनंतपुरम ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, तिरूअनंतपुरम ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, तिरूअनंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान,मुम्बई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर
13.	मणिपुर		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, इम्फाल

14.	मेघालय	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तुरा	○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवई
15.	मिजोरम		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, एजवाल
16.	नागलैण्ड		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोहिमा
17.	उड़ीसा	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौद्वार	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,भुवनेश्वर
18.	पंजाब	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जालंधर
19.	राजस्थान	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जयपुर
20.	तमिलनाडु	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,चेन्नई

21.	त्रिपुरा		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अगरतला
22.	उत्तर प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय कानपुर ○ राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कानपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कानपुर
23.	उत्तरांचल	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान- इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, देहरादून	
24.	पश्चिम बगांल	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता ○ केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता ○ क्षेत्रीय क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कोलकाता ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता

25.	**दिल्ली**		○ **केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली** ○ **विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली** ○ **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, दिल्ली**

*****

अध्याय-22
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय-एक सिंहावलोकन

पृष्ठभूमि

22.1 पुनर्वास तथा रोजगार निदेशालय (डीजीआरई) जिसे अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना जुलाई, 1945 में भूतर्प्वू सैनिकों और युद्ध सेवा कार्मिकों की, कार्यमुत्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में पुनर्वास के प्रयोजनार्थ की गई थी।

22.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों के प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था को भी महानिदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल कि या गया।

22.3 प्रशिक्षण और नियोजन सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का प्रशासनिक नियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया।

22.4 संगठन की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा 31.03.1969 तक वहन किया जाता रहा। जिसके बाद राष्ट्र्ग्री विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बन्द करा दी गई।

22.5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। अगस्त, 2005 के अन्त तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 947 (82 विश्व विद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन ब्यूरो सहित) थी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी तथा गैर सरकारी दोनें) की कुल संख्या 5114 थी, जिनकी सीटों की क्षमता 7.42 लाख थी।

22.6 महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण/संयुक्त सचिव भारत सरकार महानिदेशालय के प्रमुख हैं। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढ़ाँचे में रोजगार निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय तथा सचिवालय विंग नामक तीन मुख्य विंग हैं।

उत्तरदायित्व

रोजगार सेवा

22.7 राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्र्ग्री रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना।

22.8 राज्यों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।

22.9 रोजगार अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना तथा रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना।

22.10 एक सतत् कार्यक्रम के तहत् राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं अथवा कार्य पद्धतियों का मूल्यांकन करना, ताकि रोजगार सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह दी जा सके तथा राष्ट्ग्री नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

22.11 कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां भर्ती काफी संख्या में अपेक्षित है वहां अधिशेष व कम कार्मिकों के समायोजन हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी उपलब्ध कराना।

22.12 संगठित क्षेत्रों एवं रोजगार कार्यालयों के लिए श्रम बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार करना तथा समान रिर्पोटिंग प्रक्रिया निर्धारित करना।

22.13 बेरोजगार युवाओं से उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त आजीविकाओं के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स) के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करना।

22.14 विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।

22.15 देश में रोजगार स्थिति को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्य में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना।

22.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)(मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों में) दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त अर्ध-कुशल तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कुशल कामगार होते हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में, यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तो इस मामले में रियायत का प्रावधान है।

22.18 राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से सामान्य नीतियों,मानकों तथा प्रक्रियायों से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

22.19 अनुदेशकों का प्रशिक्षण, व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।

22.20 इसके प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से महिलाओं के प्रशिक्षण सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

22.21 व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुसंधान तथा अनुदेशात्मक सामग्री का विकास।

22.22 व्यवसाय प्रशिक्षुओं के संबंध में शिक्षु अधिनियम 1961 का कार्यन्वयन।

सांविधिक उपबंध

22.23 रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

22.24 शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

गैर सांविधिक निकाय तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित निकाय

गैर सांविधिक निकाय

- **राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह**
- **राष्ट्र्यी व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी)**

सांविधिक निकाय

- **केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी)**

उपलब्ध आधारभूत सरंचना

रेजगार सेवा

राज्य सरकारों के पास

- **भारतवर्ष में 947 रेजगार कार्यालय (जिनमें विकलांगों हेतु 43 विशेष रोजगार कार्यालय शामिल हैं)।**
- **विभिन्न राज्यों के 38 रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।**
- **अधिकांश राज्यों में रोजगार निदेशालय, राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।**

केन्द्र सरकार के पास

- **19 राज्यों में विकलांगों हेतु 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थित हैं। (3 अभी स्थापना के चरण में है)**
- **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र।**
- **एक केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सरटस), नई दिल्ली में स्थित है।**
- **नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय।**

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों को दर्शाने वाला चार्ट अनुबंध 22.1 पर दिया गया है।

प्रशिक्षण निदेशालय

राज्य सरकार के पास

- 7.42 लाख की कुल सीट क्षमता सहित 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 1896 सार्वजनिक क्षेत्र तथा शेष 3218 निजी क्षेत्र में हैं जो संभावित जनशक्ति/उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक तकनीकी प्रशिक्षण निदेशालय /रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय स्थित है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण तथा राज्य सरकारों एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित शिक्षु अधिनियम के उपबंधें के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्र सरकार के पास

- 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, लुधियाना और मुम्बई।
- केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई।
- इलैक्ट्रिॉनिक्स तथा प्रोसेस इंस्ट्रमेंटेशन संबंधी दो उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और देहरादून।
- केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता।
- 6 क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई, कानपुर, कोलकाता,चेन्नई, हैदराबाद और फरीदाबाद।
- राष्ट्री्य महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा(उ.प्र.)।
- 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हिसार, कोलकाता, तुरा, इंदौर, इलाहाबाद, वडोदरा तथा जयपुर।
- 2 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान,बंगलौर और जमशेदपुर।
- 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उत्तरांचल), कालीकट (केरल), चौद्वार (उड़ीसा) और जोधपुर (राजस्थान)।
- राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई (पूर्व में सिमी के नाम से जाना जाता था)।
- अपैक्स हाई-टेक इंस्टीटयूट, बंगलौर।
- प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में कर्मचारियों की कुल संख्या

22.25 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 2527 कर्मचारी हैं जिनमें से 241 समूह-क अधिकारी, 397 समूह-ख अधिकारी, 1259 समूह-ग कर्मचारी तथा 630 समूह-घ कर्मचारी हैं।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

22.26 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय न तो कोई रोजगार नीति बनाता है और न ही किसी रोजगार सृजन योजना का कार्यन्वयन करता है । इसकी भूमिका सहयोग करने एवं भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से अर्थव्यस्था में हो रहे रोजगार सृजन पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 31.08.2005 को 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 947 रोजगार कार्यालय हो गया है।

22.27 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व-रोजगार सवंर्धन सैल कार्य कर रहे हैं। मई, 2005 के अंत तक 80,331 लाख व्यक्तियों को स्व-रोजगार में लगाया गया।

22.28 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान 386 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा 82 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो इन जिला रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे थे।

22.29 व्यावसायिक प्रशिक्षण के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रामाणिक रोजगार बाजार सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्यों में रोजगार सेवा, रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त एवं 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गेर -कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं। 31 मार्च, 2003 को ईएमआई कार्यक्रम के तहत् कुल 2.93 लाख प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया।

22.30 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 13 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण का अभ्यास करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ये केन्द्र समूह घ्गङ एवं समकक्ष पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग,बैकिंग सेवा भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं। जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2005 के दौरान अध्यापन-सह- मार्गदर्शन केन्द्रों में टंकण एवं आशुलिपि का 8688 उम्मीदवारों ने लाभ उठाया तथा 2182 उम्मीदवारों ने सीजीसी द्वारा आयोजित भर्ती पूर्व कार्यक्रमों में भाग लिया।

22.31 देश में विकलांगों हेतु 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी.आर.सी.) कार्य कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। तीन केन्द्रों यथा, उना, पांडिचेरी तथा श्रीनगर प्रत्येक में एक केन्द्र को वर्ष 2005-06 में स्वीकृति प्रदान की गई तथा वे आरंभ किए जाने की प्रक्रिया में हैं। ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करने तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्ष 2005 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा 20937 व्यक्तियों को पंजीकृत, 20601 को मूल्यांकित/प्रशिक्षित तथा 8087 विकलांगों को पुनर्वासित किया गया।

22.32 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित भूतपूर्व सैनिक कक्ष द्वारा भूतपूर्व विकलांग सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अक्तूबर, 2005 के अंत में

223 विकलांग सैनिक तथा 2329 आश्रित इस सैल के माध्यम से रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

22.33 केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (सरटस) रोजगार सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों में अनुसंधान के लिए रोजगार कार्यालयों के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं आजिविका साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी हैं। नवम्बर, 2004 से अक्तूबर, 2005 के दौरान, सरटस ने रोजगार अधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण पाठ्य़क्रमों का आयोजन किया, 2 अनुसंधान अध्ययन पूर्ण किए तथा 2 आजीविका प्रकाशनों को जारी किया। हिन्दी व अंग्रेजी में एक प्रेरणादायक पोस्टर भी तैयार किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.34 कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण का व्यक्तियों, उद्यमियों, अर्थव्यवस्था एवं समाज के हितों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, वित्तीय बाजार में परिवर्तन, उत्पादों व सेवाओं हेतु सार्वभौमिक बाजारों का प्रादुर्भाव, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, नई व्यापार नीतियां, नए प्रबन्धन, व्यापार संगठनों के नए रूप कार्य जगत में परिवर्तन लाने वाले परिणामों में से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जनशक्ति को सक्षम बनाने, कार्य की गुणवत्ता एवं संगठनात्मकता में सुधार, नागरिकों की उत्पादकता में वृद्धि, कामगारों की आय में वृद्धि, उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, रोजगार सुरक्षा संवर्धन, सामाजिक समानता और आंतरिक एवं बाह्य श्रम बाजारों में तेजी से आते बदलाव में व्यक्तियों को ःअधिक रोजगारपरक बनाने में सहायता हेतु कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण अच्छे कार्य का आधार स्तंभ है।

22.35 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति की व्यवस्थित आपूर्ति द्वारा समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की गुणवता में सुधार करना जारी रखा। इन कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है। इन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा अगले अध्यायों में दिया गया है।

शिल्पकार प्रशिक्षण

22.36 कुशल कामगारों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और गतिशील/गत्यात्मक व्यावासायिक प्रशिक्षण नीति तथा अवसंरचना के माध्यम से सार्थक सृजन हेतु पूरे देश में फैले पिछले वर्ष तक 5068 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 46 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिससे इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ कर 5114 हो गई है। इनकी कुल सीट क्षमता 7.42 लाख है व इनमें 98 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बदलते परिवेश में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यमान व्यवसायों को संशोधित किया गया, पुराने व्यवसायों को समाप्त कर दिया गया व नए व्यवसाय आरम्भ किए गए।

22.37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) से सम्बद्ध 6 आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) तथा एक केन्द्रीय प्रशिक्षण

संस्थान(सीटीआई) के माध्यम से 22 व्यावसायों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर वी टी आई) भी महिला व्यवसाय में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

22.38 कुल प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया है। व्यवसाय सिद्धान्त, कार्यशाला गणना व विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग तथा सामाजिक अध्ययन (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर माडयूल भी शामिल है) से संबंधित विषयों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

22.39 उद्योगों की कौशल संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण माडयूल्स को पुनः अनुकूल बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, तथा चौद्वार स्थित 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एमआईटीआई) में माडयूलर पद्धति पर शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

22.40 जैसा कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं वाले सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के नियोजकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करें। अधिनियम के अंतर्गत 254 उद्योग समूहों को शामिल किया गया है तथा लगभग 20853 प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करते हैं।

22.41 32 व्यवसाय समूहों में 153 व्यवसायों को व्यवसाय शिक्षुओं हेतु नामोद्दिष्ट किया गया है। 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार 230413 उपलब्ध प्रशिक्षण सीटों की तुलना में 164653 शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

22.42 स्नातकों एवं तकनीशियन शिक्षुओं हेतु 102 तथा तकनीशियन(व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिए 95 विषय क्षेत्रों को नामोद्दिष्ट किया गया है। इन श्रेणियों के लिए विद्यमान 82154 सीटों में से दिनांक 30.6.2005 तक 38828 सीटों का उपयोग कर लिया गया है। अन्य ब्यौरा अध्याय 29 में देखा जा सकता है।

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

22.43 व्यावसायिक क्षमताओं के उच्च मानकों तक पहुंचने में प्रशिक्षणार्थियों के सहायतार्थ गुणात्मक कौशल विकसित करने हेतु अर्हताप्राप्त प्रशिक्षक मूल आधार हैं। किसी भी सफल प्रशिक्षण प्रणाली हेतु प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण विवेचनात्मक तत्व है। उनकी रोजगारपरकता सुनिश्चित करने तथा उनके प्रशिक्षण से कार्य अथवा पुनः प्रशिक्षण की ओर उन्मुख होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान वर्ष में समग्र देश से कुल 1050 प्रशिक्षकों को 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुदेशकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 27 व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया। ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

22.44 उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बदलती हुई प्रौद्योगिकी व कौशल आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति के कौशल व क्षमताओं में सुधार सुनिश्चित होता है। इससे कामगारों का वैयक्तिक व आजीविका विकास सुनिश्चित होता है जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादकता व आय में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य से, वर्तमान वर्ष में 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च व्यावसायिक क्षेत्रों में 107090 से अधिक औद्योगिक कामगारों को प्रशिक्षित किया गया। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 30 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार किया गया। विस्तृत ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

इलैक्ट्रिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.45 हैदराबाद एवं देहरादून में स्थित दो इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इभंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करते हैं। अब तक इन संस्थानों द्वारा 2589 अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा अक्तूबर, 2005 तक 30688 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2005-06 वर्ष के दौरान 131 पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा इन संस्थानों में 1309 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

पर्यवेक्षी प्रशिक्षण/फोरमैन प्रशिक्षण

22.46 विद्यमान एवं सम्भावित शाप-फ्लोर फोरमैनों तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशलों में पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पावधि/टेलर-मेड तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों का आयोजन किया जाता है।

22.47 इन संस्थानों में नवम्बर, 2005 तक 2633 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं तथा अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों के माध्यम से 36490 फोरमैन/पर्यवेक्षेकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 के दौरान, इन संस्थानों के विभिन्न अल्पावधि/दीर्घावधि पाठ्यक्रमों में 1274 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कर्मचारी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास

22.48 कार्यकारी स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने तथा अनुदेशात्मक सामग्री एवं प्रक्षेपित/गैर-प्रक्षेपित प्रशिक्षण सहाय्यों का विकास, प्रसार करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य सरकार की तकनीकी सहायता से संस्थान की स्थापना 1966 की गई।

22.49 अक्तूबर, 2005 तक केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने 16186 कार्मिकों के प्रशिक्षित किया, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 156 परियोजनाओं को पूरा किया। वर्ष के दौरान, संस्थान ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायों की

विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों की 06 नई पाठ्य़चर्याओं का भी विकास किया।

22.50 संस्थान ने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए गैर-औपचारिक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं।

अनुदेशात्मक मीडिया का विकास

22.51 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत् विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों(आईएमपी) के रूप में अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने एवं उसका प्रसार करने के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान(निमी) की स्थापना की गई।

22.52 01.04.1999 से निमी को स्वायत्तता प्रदान की जा चुकी है तथा यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

22.53 नवम्बर, 2004 तक 20 व्यवसायों के लिए अंग्रेजी में अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज विकसित कर लिए गए हैं जिनमें से 18 व्यवसायों की 130 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई है। 11 व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों का हिन्दी अनुवाद कर लिया गया है जिनमें से 11 व्यवसायों की 38 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों का तमिल अनुवाद कर लिया गया है जिनमें से 8 व्यवसायों की 33 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों हेतु प्रश्न बैंक विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है जिनमें से 4 व्यवसायों का प्रश्न बैंक पूरा कर लिया गया है तथा टर्नर और मशीनिस्ट व्यवसायों के लिए इस प्रश्न बैंक का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा आयोजित की गई। 65 बहुगुणक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा 2186 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

22.54 इस संस्थान ने अप्रैल 2004 से नवम्बर 2004 तक अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विक्रय के माध्यम से 138 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया है।केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा उद्यमों के छंटनीशुदा कामगारों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा उनका पुनः नियोजन

22.55 युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षित करने और उन्हें पुनः नियुक्त करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग (डीओआईडी) द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को 34 नोडल एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में निर्धारित किया है। योजना को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 9 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

22.56 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

22.57 एन वी टी आई/आर वी टी आई ने आरम्भ से अब तक लगभग 37,376 प्रशिक्षणार्थियों को विविध पाठ्य़क्रमों में प्रशिक्षित किया है; इनमें 22,711 प्रशिक्षुओं को नियमित दीर्घावधि पाठ्य़क्रमों व 14,665 को अल्पावधि पाठ्य़क्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

22.58 वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्य़क्रमों में 3092 महिलाओं को एम एस आफिस, वर्ड प्रोसैसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण, कशीदाकारी, परिधान निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में नियमित दीर्घावधि तथा अल्पावधि/तदर्थ पाठ्य़क्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

22.59 राज्य क्षेत्र में, अक्तूबर 2004 तक समेकित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 46658 प्रशिक्षण सीटों सहित लगभग 800 संस्थान (218 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 582 महिला विंग) थे। ब्यौरा अध्याय 30 में दिया गया है।

मुद्दे

रोजगार से संबंधित

22.60 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु उत्तरदायी है और न ही कोई रोजगार नीति तैयार करता है व कोई रोजगार सृजन योजना कार्यान्वित करता है। इसकी भूमिका समन्वय करने तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजन का अवलोकन करना है।

22.61 कुल रोजगार का 7 से 8 % संगठित क्षेत्र में है अर्थात् असंगठित क्षेत्र का रोजगार परिदृश्य में वर्चस्व है।

22.62 संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग स्थिर है, अर्थात् संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना बहुत कम है। अतः इस क्षेत्र में युवाओं हेतु नियमित वेतन रोजगार वृद्धि सीमित है।

22.63 तृतीय क्षेत्र, विशेषकर सेवा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण रोजगार सृजन हो रहा है।

22.64 लघु क्षेत्र अर्थात् सूक्ष्म, लघु उद्योगों में महत्त्वपूर्ण रोजगार वृद्धि हो रही है।

22.65 आजीविका परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तथा अद्यतन एवं विश्वसनीय श्रम बाजार सूचना प्रदान करते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक पुनर्संरचना व संगठित क्षेत्र में रोजगार के कम होते अवसरों के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में रोजगार कार्यालयों की सकारात्मक भूमिका हेतु पुनराभिमुखीकरण की आवश्यकता।

*****

अनुबंध 22.1

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
के अंतर्गत फील्ड/कार्यालय

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षण निदेशालय	रोजगार निदेशालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स तथा प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, हैदराबाद ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, हैदराबाद ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हैदराबाद
2.	असम		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, गुवाहाटी ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी
3.	बिहार		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, पटना
4.	गुजरात	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वड़ोदरा	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद ○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, वड़ोदरा ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, सूरत
5.	हरियाणा	○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, मण्डी

7.	जम्मू और कश्मीर		○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जम्मू
8.	झारखंड	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, रांची
9.	कर्नाटक	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ○ अपेक्स हाई-टेक संस्थान, बंगलौर ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक संस्थान, बंगलौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, बंगलौर ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, बंगलौर
10.	केरल	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तिरूअनंतपुरम ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, तिरूअनंतपुरम ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, तिरूअनंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान,मुम्बई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर
13.	मणिपुर		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, इम्फाल

14.	मेघालय	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तुरा	○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवई
15.	मिजोरम		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, एजवाल
16.	नागलैण्ड		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोहिमा
17.	उड़ीसा	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौद्वार	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,भुवनेश्वर
18.	पंजाब	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जालंधर
19.	राजस्थान	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जयपुर
20.	तमिलनाडु	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,चेन्नई

21.	त्रिपुरा		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अगरतला
22.	उत्तर प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय कानपुर ○ राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कानपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कानपुर
23.	उत्तरांचल	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान- इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, देहरादून	
24.	पश्चिम बगांल	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता ○ केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता ○ क्षेत्रीय क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कोलकाता ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता

25.	**दिल्ली**		○ **केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली** ○ **विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली** ○ **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, दिल्ली**

*****

अध्याय-22
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय-एक सिंहावलोकन

पृष्ठभूमि

22.1 पुनर्वास तथा रोजगार निदेशालय (डीजीआरई) जिसे अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) के रूप में जाना जाता है, की स्थापना जुलाई, 1945 में भूतर्प्वू सैनिकों और युद्ध सेवा कार्मिकों की, कार्यमुत्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में पुनर्वास के प्रयोजनार्थ की गई थी।

22.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों के प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था को भी महानिदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल कि या गया।

22.3 प्रशिक्षण और नियोजन सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों को मानते हुए रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का प्रशासनिक नियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया।

22.4 संगठन की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा 31.03.1969 तक वहन किया जाता रहा। जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बन्द करा दी गई।

22.5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। अगस्त, 2005 के अन्त तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 947 (82 विश्व विद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्ग दर्शन ब्यूरो सहित) थी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी तथा गैर सरकारी दोनें) की कुल संख्या 5114 थी, जिनकी सीटों की क्षमता 7.42 लाख थी।

22.6 महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण/संयुक्त सचिव भारत सरकार महानिदेशालय के प्रमुख हैं। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढ़ाँचे में रोजगार निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय तथा सचिवालय विंग नामक तीन मुख्य विंग हैं।

उत्तरदायित्व

रोजगार सेवा

22.7 राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना।

22.8 राज्यों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।

22.9 रोजगार अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना तथा रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना।

22.10 एक सतत् कार्यक्रम के तहत् राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं अथवा कार्य पद्धतियों का मूल्यांकन करना, ताकि रोजगार सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता एवं सलाह दी जा सके तथा राष्ट्र्ग्री नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

22.11 कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्र जहां भर्ती काफी संख्या में अपेक्षित है वहां अधिशेष व कम कार्मिकों के समायोजन हेतु एक केन्द्रीय एजेन्सी उपलब्ध कराना।

22.12 संगठित क्षेत्रों एवं रोजगार कार्यालयों के लिए श्रम बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार करना तथा समान रिर्पोटिंग प्रक्रिया निर्धारित करना।

22.13 बेरोजगार युवाओं से उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त आजीविकाओं के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स) के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कैरियर परामर्श सेवा के मध्य समन्वय करना।

22.14 विकलांगों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।

22.15 देश में रोजगार स्थिति को प्रभावित करने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों के कार्ये में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना।

22.16 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.17 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस)(मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों में) दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त अर्ध-कुशल तथा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कुशल कामगार होते हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में, यदि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है तो इस मामले में रियायत का प्रावधान है।

22.18 राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से सामान्य नीतियों,मानकों तथा प्रक्रियायों से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास।

22.19 अनुदेशकों का प्रशिक्षण, व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण।

22.20 इसके प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से महिलाओं के प्रशिक्षण सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

22.21 व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुसंधान तथा अनुदेशात्मक सामग्री का विकास।

22.22 व्यवसाय प्रशिक्षुओं के संबंध में शिक्षु अधिनियम 1961 का कार्यन्वयन।

सांविधिक उपबंध

22.23 रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

22.24 शिक्षुता अधिनियम, 1961 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

गैर सांविधिक निकाय तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित निकाय

गैर सांविधिक निकाय

- **राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्य समूह**
- **राष्ट्र्यी व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी)**

सांविधिक निकाय

- **केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सीएसी)**

उपलब्ध आधारभूत सरंचना

रेजगार सेवा

राज्य सरकारों के पास

- **भारतवर्ष में 947 रेजगार कार्यालय (जिनमें विकलांगों हेतु 43 विशेष रोजगार कार्यालय शामिल हैं)।**
- **विभिन्न राज्यों के 38 रोजगार कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।**
- **अधिकांश राज्यों में रोजगार निदेशालय, राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।**

केन्द्र सरकार के पास

- **19 राज्यों में विकलांगों हेतु 20 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थित हैं। (3 अभी स्थापना के चरण में है)**
- **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र।**
- **एक केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सरटस), नई दिल्ली में स्थित है।**
- **नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय।**

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत अधीनस्थ/फील्ड कार्यालयों को दर्शाने वाला चार्ट अनुबंध 22.1 पर दिया गया है।

प्रशिक्षण निदेशालय

राज्य सरकार के पास

- 7.42 लाख की कुल सीट क्षमता सहित 5114 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 1896 सार्वजनिक क्षेत्र तथा शेष 3218 निजी क्षेत्र में हैं जो संभावित जनशक्ति/उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक तकनीकी प्रशिक्षण निदेशालय /रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय स्थित है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण तथा राज्य सरकारों एवं निजी प्रतिष्ठानों से संबंधित शिक्षु अधिनियम के उपबंधें के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्र सरकार के पास

- 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, हैदराबाद, लुधियाना और मुम्बई।
- केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई।
- इलैक्ट्रिॉनक्स तथा प्रोसेस इंस्ट्रमेंटेशन संबंधी दो उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और देहरादून।
- केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता।
- 6 क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई, कानपुर, कोलकाता,चेन्नई, हैदराबाद और फरीदाबाद।
- राष्ट्री महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा(उ.प्र.)।
- 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हिसार, कोलकाता, तुरा, इंदौर, इलाहाबाद, वडोदरा तथा जयपुर।
- 2 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान,बंगलौर और जमशेदपुर।
- 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी (उत्तरांचल), कालीकट (केरल), चौद्वार (उड़ीसा) और जोधपुर (राजस्थान)।
- राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई (पूर्व में सिमी के नाम से जाना जाता था)।
- अपैक्स हाई-टेक इंस्टीटयूट, बंगलौर।
- प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में कर्मचारियों की कुल संख्या

22.25 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 2527 कर्मचारी हैं जिनमें से 241 समूह-क अधिकारी, 397 समूह-ख अधिकारी, 1259 समूह-ग कर्मचारी तथा 630 समूह-घ कर्मचारी हैं।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

22.26 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय न तो कोई रोजगार नीति बनाता है और न ही किसी रोजगार सृजन योजना का कार्यन्वयन करता है । इसकी भूमिका सहयोग करने एवं भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से अर्थव्यस्था में हो रहे रोजगार सृजन पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 31.08.2005 को 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 947 रोजगार कार्यालय हो गया है।

22.27 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व-रोजगार सवंर्धन सैल कार्य कर रहे हैं। मई, 2005 के अंत तक 80,331 लाख व्यक्तियों को स्व-रोजगार में लगाया गया।

22.28 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान 386 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा 82 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो इन जिला रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे थे।

22.29 व्यावसायिक प्रशिक्षण के योजनाबद्ध विकास के लिए प्रामाणिक रोजगार बाजार सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्यों में रोजगार सेवा, रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त एवं 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गेर -कृषीय प्रतिष्ठान शामिल हैं। 31 मार्च, 2003 को ईएमआई कार्यक्रम के तहत् कुल 2.93 लाख प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया।

22.30 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं विश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 13 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण का अभ्यास करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ये केन्द्र समूह घ्गङ एवं समकक्ष पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग,बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं। जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2005 के दौरान अध्यापन-सह- मार्गदर्शन केन्द्रों में टंकण एवं आशुलिपि का 8688 उम्मीदवारों ने लाभ उठाया तथा 2182 उम्मीदवारों ने सीजीसी द्वारा आयोजित भर्ती पूर्व कार्यक्रमों में भाग लिया।

22.31 देश में विकलांगों हेतु 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी.आर.सी.) कार्य कर रहे हैं, जिनमें से वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। तीन केन्द्रों यथा, उना, पांडिचेरी तथा श्रीनगर प्रत्येक में एक केन्द्र को वर्ष 2005-06 में स्वीकृति प्रदान की गई तथा वे आरंभ किए जाने की प्रक्रिया में हैं। ये केन्द्र विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करने तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्ष 2005 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा 20937 व्यक्तियों को पंजीकृत, 20601 को मूल्यांकित/प्रशिक्षित तथा 8087 विकलांगों को पुनर्वासित किया गया।

22.32 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित भूतपूर्व सैनिक कक्ष द्वारा भूतपूर्व विकलांग सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों तथा उनके आश्रितों को नियोजन संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अक्तूबर, 2005 के अंत में

223 विकलांग सैनिक तथा 2329 आश्रित इस सैल के माध्यम से रोजगार सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

22.33 केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (सरटस) रोजगार सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों में अनुसंधान के लिए रोजगार कार्यालयों के अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं आजिविका साहित्य को प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी हैं। नवम्बर, 2004 से अक्तूबर, 2005 के दौरान, सरटस ने रोजगार अधिकारियों के लिए 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया, 2 अनुसंधान अध्ययन पूर्ण किए तथा 2 आजीविका प्रकाशनों को जारी किया। हिन्दी व अंग्रेजी में एक प्रेरणादायक पोस्टर भी तैयार किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.34 कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण का व्यक्तियों, उद्यमियों, अर्थव्यवस्था एवं समाज के हितों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, वित्तीय बाजार में परिवर्तन, उत्पादों व सेवाओं हेतु सार्वभौमिक बाजारों का प्रादुर्भाव, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, नई व्यापार नीतियां, नए प्रबन्धन, व्यापार संगठनों के नए रूप कार्य जगत में परिवर्तन लाने वाले परिणामों में से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जनशक्ति को सक्षम बनाने, कार्य की गुणवत्ता एवं संगठनात्मकता में सुधार, नागरिकों की उत्पादकता में वृद्धि, कामगारों की आय में वृद्धि, उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, रोजगार सुरक्षा संवर्धन, सामाजिक समानता और आंतरिक एवं बाह्य श्रम बाजारों में तेजी से आते बदलाव में व्यक्तियों को ◌ंअधिक रोजगारपरक बनाने में सहायता हेतु कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण अच्छे कार्य का आधार स्तंभ है।

22.35 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति की व्यवस्थित आपूर्ति द्वारा समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादकता की गुणवता में सुधार करना जारी रखा। इन कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है। इन कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा अगले अध्यायों में दिया गया है।

शिल्पकार प्रशिक्षण

22.36 कुशल कामगारों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और गतिशील/गत्यात्मक व्यावासायिक प्रशिक्षण नीति तथा अवसंरचना के माध्यम से सार्थक सृजन हेतु पूरे देश में फैले पिछले वर्ष तक 5068 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 46 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिससे इस वर्ष इनकी संख्या बढ़ कर 5114 हो गई है। इनकी कुल सीट क्षमता 7.42 लाख है व इनमें 98 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बदलते परिवेश में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यमान व्यवसायों को संशोधित किया गया, पुराने व्यवसायों को समाप्त कर दिया गया व नए व्यवसाय आरम्भ किए गए।

22.37 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) से सम्बद्ध 6 आदर्श प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) तथा एक केन्द्रीय प्रशिक्षण

संस्थान(सीटीआई) के माध्यम से 22 व्यावसायों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक राष्ट्री व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आर वी टी आई) भी महिला व्यवसाय में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

22.38 कुल प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया गया है। व्यवसाय सिद्वान्त, कार्यशाला गणना व विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्ई्रांग तथा सामाजिक अध्ययन (जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी पर माडयूल भी शामिल है) से संबंधित विषयों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

22.39 उद्योगों की कौशल संबंधी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण माडयूल्स को पुनः अनुकूल बनाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन हल्द्वानी, कालीकट, जोधपुर, तथा चौद्वार स्थित 4 आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एमआईटीआई) में माडयूलर पद्धति पर शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

22.40 जैसा कि शिक्षु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं वाले सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के नियोजकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करें। अधिनियम के अंतर्गत 254 उद्योग समूहों को शामिल किया गया है तथा लगभग 20853 प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को अनुबंधित करते हैं।

22.41 32 व्यवसाय समूहों में 153 व्यवसायों को व्यवसाय शिक्षुओं हेतु नामोद्दिष्ट किया गया है। 30.6.2005 की स्थिति के अनुसार 230413 उपलब्ध प्रशिक्षण सीटों की तुलना में 164653 शिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

22.42 स्नातकों एवं तकनीशियन शिक्षुओं हेतु 102 तथा तकनीशियन(व्यावसायिक) शिक्षुओं के लिए 95 विषय क्षेत्रों को नामोद्दिष्ट किया गया है। इन श्रेणियों के लिए विद्यमान 82154 सीटों में से दिनांक 30.6.2005 तक 38828 सीटों का उपयोग कर लिया गया है। अन्य ब्यौरा अध्याय 29 में देखा जा सकता है।

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना

22.43 व्यावसायिक क्षमताओं के उच्च मानकों तक पहुंचने में प्रशिक्षणार्थियों के सहायतार्थ गुणात्मक कौशल विकसित करने हेतु अर्हताप्राप्त प्रशिक्षक मूल आधार हैं। किसी भी सफल प्रशिक्षण प्रणाली हेतु प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण विवेचनात्मक तत्व है। उनकी रोजगारपरकता सुनिश्चित करने तथा उनके प्रशिक्षण से कार्य अथवा पुनः प्रशिक्षण की ओर उन्मुख होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। वर्तमान वर्ष में समग्र देश से कुल 1050 प्रशिक्षकों को 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा अनुदेशकों हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से 27 व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया। ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

22.44 उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बदलती हुई प्रौद्योगिकी व कौशल आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति के कौशल व क्षमताओं में सुधार सुनिश्चित होता है। इससे कामगारों का वैयक्तिक व आजीविका विकास सुनिश्चित होता है जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादकता व आय में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य से, वर्तमान वर्ष में 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों तथा 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च व्यावसायिक क्षेत्रों में 107090 से अधिक औद्योगिक कामगारों को प्रशिक्षित किया गया। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 30 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार किया गया। विस्तृत ब्यौरा अध्याय-30 में दिया गया है।

इलैक्ट्रिानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

22.45 हैदराबाद एवं देहरादून में स्थित दो इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसेस इभंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करते हैं। अब तक इन संस्थानों द्वारा 2589 अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा अक्तूबर, 2005 तक 30688 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2005-06 वर्ष के दौरान 131 पाठयक्रम आयोजित किए जा चुके हैं तथा इन संस्थानों में 1309 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

पर्यवेक्षी प्रशिक्षण/फोरमैन प्रशिक्षण

22.46 विद्यमान एवं सम्भावित शाप-फ्लोर फोरमैनों तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशलों में पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अल्पावधि/टेलर-मेड तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों का आयोजन किया जाता है।

22.47 इन संस्थानों में नवम्बर, 2005 तक 2633 पाठ्य़क्रम आयोजित किए हैं तथा अल्पावधि तथा दीर्घावधि पाठयक्रमों के माध्यम से 36490 फोरमैन/पर्यवेक्षेकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2005-06 के दौरान, इन संस्थानों के विभिन्न अल्पावधि/दीर्घावधि पाठ्य़क्रमों में 1274 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

कर्मचारी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास

22.48 कार्यकारी स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान करने तथा अनुदेशात्मक सामग्री एवं प्रक्षेपित/गैर-प्रक्षेपित प्रशिक्षण सहाय्यों का विकास, प्रसार करने के लिए जर्मन संघीय गणराज्य सरकार की तकनीकी सहायता से संस्थान की स्थापना 1966 की गई।

22.49 अक्तूबर, 2005 तक केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता ने 16186 कार्मिकों के प्रशिक्षित किया, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 156 परियोजनाओं को पूरा किया। वर्ष के दौरान, संस्थान ने व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायों की

विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों की 06 नई पाठ्य़चर्याओं का भी विकास किया।

22.50 संस्थान ने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए गैर-औपचारिक क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं।

अनुदेशात्मक मीडिया का विकास

22.51 शिल्पकार प्रशिक्षण एवं शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत् विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों(आईएमपी) के रूप में अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने एवं उसका प्रसार करने के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान(निमी) की स्थापना की गई।

22.52 01.04.1999 से निमी को स्वायत्तता प्रदान की जा चुकी है तथा यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

22.53 नवम्बर, 2004 तक 20 व्यवसायों के लिए अंग्रेजी में अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज विकसित कर लिए गए हैं जिनमें से 18 व्यवसायों की 130 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई है। 11 व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों का हिन्दी अनुवाद कर लिया गया है जिनमें से 11 व्यवसायों की 38 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों का तमिल अनुवाद कर लिया गया है जिनमें से 8 व्यवसायों की 33 पुस्तकें प्रकाशित कर दी गई हैं। 8 व्यवसायों हेतु प्रश्न बैंक विकसित करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है जिनमें से 4 व्यवसायों का प्रश्न बैंक पूरा कर लिया गया है तथा टर्नर और मशीनिस्ट व्यवसायों के लिए इस प्रश्न बैंक का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा आयोजित की गई। 65 बहुगुणक प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा 2186 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

22.54 इस संस्थान ने अप्रैल 2004 से नवम्बर 2004 तक अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विक्रय के माध्यम से 138 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया है।केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा उद्यमों के छंटनीशुदा कामगारों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा उनका पुनः नियोजन

22.55 युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षित करने और उन्हें पुनः नियुक्त करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग (डीओआईडी) द्वारा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को 34 नोडल एजेंसियों में से एक एजेंसी के रूप में निर्धारित किया है। योजना को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 9 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

22.56 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों (आरवीटीआई) में विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं।

22.57 एन वी टी आई/आर वी टी आई ने आरम्भ से अब तक लगभग 37,376 प्रशिक्षणार्थियों को विविध पाठ्य़क्रमों में प्रशिक्षित किया है; इनमें 22,711 प्रशिक्षुओं को नियमित दीर्घावधि पाठ्य़क्रमों व 14,665 को अल्पावधि पाठ्य़क्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

22.58 वर्ष 2004-05 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्य़क्रमों में 3092 महिलाओं को एम एस आफिस, वर्ड प्रोसैसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण, कशीदाकारी, परिधान निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में नियमित दीर्घावधि तथा अल्पावधि/तदर्थ पाठ्य़क्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

22.59 राज्य क्षेत्र में, अक्तूबर 2004 तक समेकित किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 46658 प्रशिक्षण सीटों सहित लगभग 800 संस्थान (218 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 582 महिला विंग) थे। ब्यौरा अध्याय 30 में दिया गया है।

मुद्दे

रोजगार से संबंधित

22.60 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन हेतु उत्तरदायी है और न ही कोई रोजगार नीति तैयार करता है व कोई रोजगार सृजन योजना कार्यान्वित करता है। इसकी भूमिका समन्वय करने तथा अर्थव्यवस्था में हो रहे रोजगार सृजन का अवलोकन करना है।

22.61 कुल रोजगार का 7 से 8 % संगठित क्षेत्र में है अर्थात् असंगठित क्षेत्र का रोजगार परिदृश्य में वर्चस्व है।

22.62 संगठित क्षेत्र में रोजगार लगभग स्थिर है, अर्थात् संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना बहुत कम है। अतः इस क्षेत्र में युवाओं हेतु नियमित वेतन रोजगार वृद्धि सीमित है।

22.63 तृतीय क्षेत्र, विशेषकर सेवा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण रोजगार सृजन हो रहा है।

22.64 लघु क्षेत्र अर्थात् सूक्ष्म, लघु उद्योगों में महत्त्वपूर्ण रोजगार वृद्धि हो रही है।

22.65 आजीविका परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए तथा अद्यतन एवं विश्वसनीय श्रम बाजार सूचना प्रदान करते हुए तथा आर्थिक उदारीकरण, औद्योगिक पुनर्संरचना व संगठित क्षेत्र में रोजगार के कम होते अवसरों के संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य में रोजगार कार्यालयों की सकारात्मक भूमिका हेतु पुनराभिमुखीकरण की आवश्यकता।

*****

अनुबंध 22.1

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय
के अंतर्गत फील्ड/कार्यालय

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षण निदेशालय	रोजगार निदेशालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिक्स तथा प्रोसैस इंस्ट्रूमेंटेशन, हैदराबाद ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, हैदराबाद ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हैदराबाद
2.	असम		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, गुवाहाटी ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी
3.	बिहार		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, पटना
4.	गुजरात	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वड़ोदरा	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद ○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, वड़ोदरा ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, सूरत
5.	हरियाणा	○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, फरीदाबाद ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, मण्डी

7.	जम्मू और कश्मीर		○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जम्मू
8.	झारखंड	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, रांची
9.	कर्नाटक	○ फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर ○ अपेक्स हाई-टेक संस्थान, बंगलौर ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक संस्थान, बंगलौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, बंगलौर ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, बंगलौर
10.	केरल	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तिरूअनंतपुरम ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालीकट	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, तिरूअनंतपुरम ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, तिरूअनंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान,मुम्बई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, मुम्बई ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर
13.	मणिपुर		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, इम्फाल

14.	मेघालय	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तुरा	○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जोवई
15.	मिजोरम		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, एजवाल
16.	नागलैण्ड		○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोहिमा
17.	उड़ीसा	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चौद्वार	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,भुवनेश्वर
18.	पंजाब	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जालंधर
19.	राजस्थान	○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,जयपुर
20.	तमिलनाडु	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई ○ केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र,चेन्नई

21.	त्रिपुरा		○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अगरतला
22.	उत्तर प्रदेश	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर ○ क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय कानपुर ○ राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा ○ क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कानपुर ○ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कानपुर
23.	उत्तरांचल	○ आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी ○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान-इलैक्ट्रानिक्स एवं प्रोसैस इंस्ट्रूमैंटेशन, देहरादून	
24.	पश्चिम बगांल	○ उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता ○ केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता ○ क्षेत्रीय क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता	○ विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कोलकाता ○ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता

25.	**दिल्ली**		○ **केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली** ○ **विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली** ○ **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, दिल्ली**

*****